



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-11122021-231807  
CG-UP-E-11122021-231807

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 2021/अग्रहायण 20, 1943

No. 693]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 2021/AGRAHAYANA 20, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2021

**सा.का.नि. 852(अ).**—समुद्री नौचालन सहायता (पोत यातायात सेवाएं) नियम, 2021 का प्रारूप, के प्रारूप के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार करती है, को समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए में जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; जैसा कि उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, दीपस्तभ और दीपपोत महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ए-13, सेक्टर -24, नोएडा - 201301 को संबोधित किया जा सकता है, अथवा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर [noida-dgll@nic.in](mailto:noida-dgll@nic.in) पर ईमेल द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

प्रारंभिकी

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों को "समुद्री नौचालन सहायता (पोत यातायात सेवाएं) नियम, 2021" कहा जाना है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय की अन्यथा आवश्यकता न हो,

- (क) "प्रत्यायन" अर्थात् प्रशिक्षण संगठनों के प्रत्यायन नियम, 2021 के अनुसार वस्तुनिष्ठ समीक्षा के उद्देश्य के पश्चात् पोत यातायात सेवा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु के लिए प्रशिक्षण संगठनों की मान्यता है।
- (ख) "अधिनियम" अर्थात् है समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) है।
- (ग) "अनुमोदित" अर्थात् लिखित रूप में दिया गया अनुमोदन है।
- (घ) "तटीय वीटीएस" अर्थात् सामान्य अथवा तटीय जलमार्गों, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से पोतों के सुरक्षित और तत्पर मार्ग की सहायता हेतु स्थापित वीटीएस है।
- (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" अर्थात् वीटीएस से संबंधित मामलों के संदर्भ में केंद्रीय सरकार की शक्तियों और दायित्वों को निष्पादित करने के लिए अधिनियम की धारा 12 (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण है।
- (च) "महानिदेशालय" अर्थात् महानिदेशालय, समुद्री नौचालन सहायता है।
- (छ) "महानिदेशक" अर्थात् महानिदेशक, नौचालन सहायता है।
- (ज) "आईएलए" अर्थात् इंटरनेशनल एसोसियसन ऑफ मरीन एंड लाइटहाउस ऑथोरिटीस है।
- (झ) "आईएलए दिशानिर्देश / सिफारिशें" अर्थात् आईएलए द्वारा जारी दिशा-निर्देश/सिफारिशें जहां ऐसे विशिष्ट दिशानिर्देशों/सिफारिशों का उल्लेख संशोधित अथवा प्रतिस्थापित संस्करण के लागू होने के संदर्भ में दिया गया है।
- (ञ) "गैर - सोलास पोत" अर्थात् वे पोत जो सोलास पोत नहीं हैं।
- (ट) "पत्तन / बंदरगाह वीटीएस" अर्थात् संबंधित वीटीएस प्रदाता द्वारा अपनी पत्तन सीमा में स्थापित और प्रबंधित वीटीएस है।
- (ठ) "सोलास कन्वेंशन" अर्थात् सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन, 1974 के संशोधनानुसार है।
- (ड) "सोलास पोत" अर्थात् वे पोत जो सोलास कन्वेंशन के अनुरूप 500 जीटी अथवा उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर लगे हैं।
- (ढ) "वीटीएमएस" अर्थात् पोत और हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है।
- (ण) "पोत यातायात सेवा (वीटीएस)" अर्थात् के अधीन पोत यातायात की सुरक्षा और कुशलता में विस्तार तथा पर्यावरण की रक्षा हेतु क्रियान्वित की गई सेवा है। यातायात के साथ वार्तालाप करने की क्षमता हो और वीटीएस क्षेत्र में यातायात स्थितियों में विकसित हो रहे परिवेश का जवाब देने की क्षमता हो।
- (त) "वीटीएस क्षेत्र" अर्थात् वीटीएस का चित्रित, औपचारिक रूप से घोषित सेवा क्षेत्र है और उप-क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।
- (थ) "वीटीएस केंद्र" अर्थात् वह केंद्र है, जहां से वीटीएस प्रचालित होता है।
- (द) "वीटीएस लॉग बुक" अर्थात् समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन) नियम, 2021 के अनुसार जारी एक लॉग बुक है।
- (ध) "वीटीएस ट्रैफिक इमेज" अर्थात् पोतों की सतही तस्वीर और उनका वीटीएस क्षेत्र में आवागमन से है।
- (न) "वीटीएस प्रदाता" अर्थात् वीटीएस स्थापना, संचालन, प्रबंधन और समन्वय हेतु दायित्वपूर्ण प्राधिकरण से है।
- (प) "पोत यातायात सेवा प्रचालक (वीटीएसओ)" अर्थात् पोत यातायात सेवाओं के प्रचालन में योगदान देने वाले, कार्यों के निष्पादन हेतु योग्य व्यक्ति और पोत यातायात छवि को स्थापित करने और बनाए रखने

के लिए जिम्मेदार है, जो पोत यातायात के साथ वार्तालाप की सुविधा प्रदान करे और वीटीएस क्षेत्र में सुरक्षित नौचालन सुनिश्चित कर सके।

- (फ) "पोत यातायात सेवा पर्यवेक्षक" अर्थात् पोत यातायात सेवाओं के संचालन में योगदान देने वाला, प्रबंधन और/अथवा समन्वय तथा वीटीएस प्रचालक की प्रचालनात्मक गतिविधियों में सहायक व्यक्ति से है।
- (ब) "पोत यातायात सेवा प्रबंधक" अर्थात् पोत यातायात सेवाओं के प्रचालन में योगदान करने वाले और वीटीएस प्रदाता की ओर से वीटीएस केंद्र की गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय कार्यों को निष्पादित करने के लिए योग्य व्यक्ति है।
- (भ) "वीटीएस कार्मिक" अर्थात्पोत यातायात सेवा प्रचालक, पोत यातायात सेवा पर्यवेक्षक और पोत यातायात प्रबंधक सहित पोत यातायात सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने हेतु योग्य और तैनात व्यक्ति है।
- (म) "वीटीएस सैलिंग योजना" अर्थात् वीटीएस क्षेत्र में पोत के आवागमन हेतु वीटीएस प्रदाता और पोत मास्टर के मध्य पारस्परिक रूप से सहमति पर निर्धारित की गई योजना है।
- (य) "वीटीएस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" अर्थात् आईएलए सिफारिश वी-103 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक अनुमोदित पाठ्यक्रम है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नकिए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, अधिनियम और वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में संशोधनानुसार परिभाषित किए गए हों का, इस अधिनियम में क्रमशः समान तात्पर्य प्रदान किया गया है।

3. **उद्देश्य:** पोत यातायात की सुरक्षा और कुशलता में विस्तार हेतु तथा सदृश्य मंच सुनिश्चित करते हुए, सभी वीटीएस के मध्य विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करके देश में पोत यातायात द्वारा समुद्री पर्यावरण को होने वाली क्षति के खतरों को कम करना है।

4. **पोत यातायात सेवा के संबंध में केंद्रीय सरकार की बाध्यता:** केंद्रीय सरकार निम्नलिखित हेतु दायित्वपूर्ण होगी:

- (1) वीटीएस की स्थापना हेतु यातायात की मात्रा और तटीय विकास के अनुसार जोखिम का मूल्यांकन।
- (2) वीटीएस पर आईएलए की सिफारिशों और दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन।
- (3) वीटीएस और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की श्रेणी को अधिकृत करना।
- (4) देश में परिचालित विभिन्न वीटीएस में एकरूपता।
- (5) वीटीएस प्रदर्शन मूल्यांकन का संचालक।
- (6) मानकीकरण:
  - (क) उपकरण और प्रचालन।
  - (ख) वीटीएस मैनिंग।
  - (ग) वीटीएस कर्मिकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन।
- (7) वीटीएस प्रशिक्षण संगठनों की मान्यता।
- (8) वीटीएस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अनुमोदन।

**व्याख्या:** समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन) नियम, 2021के अनुच्छेद (ग) उप-नियम (6) नियम 4, उप-नियम (7) नियम 4 और उप-नियम (8) नियम 4 में उल्लिखित केंद्रीय सरकार के दायित्वों को समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन) नियम, 2021, के अनुसार निपटाया जाएगा और समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 के अध्याय VIII, धारा 18, 19 और 20 के दायरे में तैयार किया गया है।

5. **पोत यातायात सेवाओं हेतु सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति:** (1) अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार, वीटीएस हेतु एक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो इन नियम के प्रावधानों के अनुसार कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (2) पोत यातायात सेवा सलाहकार समूह (वीटीएसएजी) से सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों के संबंध में परामर्श कर सकता है:
- (क) नीति, प्रचालन, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और वीटीएस विनियमन के वितरण से जुड़े संबंधित विषयों पर ;
- (ख) वीटीएस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों और दिशानिर्देशों पर;
- (ग) आवश्यकतानुसार, वीटीएस से संबंधित स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के समाधान पर;
- (घ) वीटीएस से संबंधित कोई अन्य मामले।
6. **सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार की पोत यातायात सेवाएं:** निम्नलिखित प्रकार की वीटीएस के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के कार्यों और शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा:
- (1) पत्तन वीटीएस अथवा बंदरगाह वीटीएस:
- (क) संबंधित पत्तन अथवा बंदरगाह द्वारा विशिष्ट पत्तन अथवा बंदरगाह की सीमा पत्तन वीटीएस अथवा बंदरगाह वीटीएस की स्थापना कर सकता है, जिसे वीटीएस प्रदाता के रूप में नामित किया जाएगा।
- (ख) खतरे की मात्रा, यातायात घनत्व, कार्गो संचालन की प्रकृति आदि पर ऐसे वीटीएस की आवश्यकता आधारित होगी।
- (2) तटीय वीटीएस:
- (क) तटीय जल अथवा निकटवर्ती पत्तनों के सामान्य हित के जल, के माध्यम से जहाजों के सुरक्षित और तत्पर मार्ग की सहायता के लिए, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तटीय वीटीएस की स्थापना केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।
- (ख) खतरे की मात्रा, यातायात घनत्व, कार्गो संचालन की प्रकृति आदि पर ऐसे वीटीएस की आवश्यकता आधारित होगी।
7. **पोत यातायात सेवाओं के अधीन प्रदान सेवाओं की श्रेणी:** वीटीएस के अधीन निम्नलिखित प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी:
- (1) सभी वीटीएस प्रदाताओं/तटीय वीटीएस द्वारा सूचना सेवा (आईएनएस) प्रदान की जाएंगी, जिसमें एक यातायात छवि को बनाए रखना सम्मिलित है और यातायात के वार्तालाप और विस्तारित होती यातायात स्थितियों की प्रतिक्रिया की अनुमति देना है तथा ऑन-बोर्ड निर्णय बनाने की प्रक्रिया में सहायता हेतु आवश्यक और यथा समय समुद्री जानकारी प्रदान करता है।
- (2) यातायात संगठन सेवा (टीओएस) घोषित वीटीएस क्षेत्र में पोत यातायात के सुरक्षित और कुशल आवागमन के लिए प्रदान करेगी और खतरनाक समुद्री स्थिति के विकास को उच्च यातायात घनत्व के समय में अथवा जब पोतों का आवागमन यातायात प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, तब योजना के माध्यम से यातायात के प्रचालन प्रबंधन और पोत संचालन को नियंत्रित करेगी।
- (3) नौचालन सहायता सेवा (एनएस) पोत पर नौचालन के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता हेतु आवश्यक और यथा-समय पर नौचालन संबंधी जानकारी प्रदान करेगी, जिस से नौचालन परामर्श और / अथवा अनुदेशों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।
- (4) नौचालन स्थितियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से पत्तन सीमा अथवा वीटीएस क्षेत्र में वीटीएस प्रदाताओं द्वारा टीओएस और एनएस पर विचार किया जा सकता है।
- (5) सक्षम प्राधिकारी और/ अथवा वीटीएस प्रदाता द्वारा यहां ऊपर उल्लिखित सेवाओं के संबंध में पोत यातायात सेवाओं के प्रावधानों पर आईएलए दिशानिर्देशों का नियमित संदर्भ लिया जाएगा।

- (6) अंग्रेजी में मानक समुद्री संचार वाक्यांशों का उपयोग करते हुए वीटीएस प्रचालित किया जाएगा।
- (7) आईएलए दिशानिर्देश 1083 में प्रकाशित एक मानक नामकरण का उपयोग यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा कि नाविकों और अन्य हितधारकों के लिए किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए वीटीएस एक सुसंगत तरीके से चिन्हित करने योग्य हैं।
- (8) वीटीएस केंद्र के कुशल और सतत प्रचालन हेतु, संबंधित वीटीएस प्रदाता अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से आकस्मिक योजना सहित वीटीएस संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करेगा, और एसओपी को अंतिम रूप देने के पश्चात वीटीएस प्रदाता द्वारा सभी हितधारकों में परिचालित किया जाएगा।
- (9) आईएलए सिफारिश वी-127 और आईएलए वीटीएस मैनुअल के नवीनतम संस्करण में उपलब्ध वीटीएस प्रदाता द्वारा एसओपी तैयार करते समय, परिचालन प्रक्रियाओं पर संदर्भ और मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. **पोत यातायात सेवाओं की सुविधा हेतु उपकरण:** (1) घोषित श्रेणी सेवा, यातायात घनत्व, नौचालन खतरों, पर्यावरणीय स्थिति, स्थलाकृति और वीटीएस क्षेत्र की सीमा वीटीएस उपकरण की आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

(क) रेडियो संचार

(ख) सेंसर

(i) रडार

(ii) एआईएस

(iii) पर्यावरण निगरानी

(iv) इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम

(v) रेडियो दिशा खोजक

(ग) डाटा प्रोसेसिंग

(घ) वीटीएस मानवीय / मशीनी इंटरफेस

(ङ) निर्णय समर्थन

(च) बाहरी सूचना विनिमय

(2) देश में एक सामंजस्यपूर्ण वीटीएस परिदृश्य के लिए उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी आईएलए की सिफारिश वी-128: वीटीएस उपकरण हेतु प्रचालन और तकनीकी निष्पादन आवश्यकताओं, आईएलए दिशानिर्देश: 1111: परिचालन की तैयारी का उल्लेख करेगा। और वीटीएस सिस्टम के लिए तकनीकी प्रदर्शन आवश्यकताएं, और आईएलए वीटीएस मैनुअल का वर्तमान संस्करण।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी वीटीएस परिपत्रों के माध्यम से वीटीएस उपकरण और उसके रखरखाव से संबंधित सूचना और मार्गदर्शन प्रख्यापित किया जाएगा।

9. **पोत यातायात सेवा कर्मियों - मैनिंग, योग्यता, प्रशिक्षण और प्रमाणन:** (1) वीटीएस क्षेत्र के आकार और जटिलता, प्रदान की गई सेवा के प्रकार, साथ ही साथ यातायात की मात्रा और घनत्व के आधार पर वीटीएस की मैनिंग निर्धारित की जाएगी।

(2) वीटीएस केंद्रों पर आईएलए दिशानिर्देश 1045: स्टाफिंग स्तर का संदर्भ कार्मिक मानक का निर्धारण करते समय दिया जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मैनिंग मानक परिपत्रों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में वीटीएस कर्मियों की योग्यता निर्दिष्ट की जाएगी।
- (5) वीटीएस केंद्र में तैनात वीटीएस कर्मियों को आईएलए की सिफारिश वी-103:वीटीएस कर्मियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन द्वारा निर्देशित होगा, ताकि समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन) नियम, 2021 के अनुसार वीटीएस कर्मियों की क्षमता के मानक को बनाए रखा जा सके।
- 10. वीटीएस निष्पादन की लेखा परीक्षा और समीक्षा:** (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर जारी वीटीएस परिपत्रों के माध्यम से वीटीएस की प्रभावशीलता का पता लगाने हेतु और वीटीएस की उद्देश्यों को पूरा करने में निर्दिष्ट मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी वीटीएस की अपने लेखा परीक्षा और समीक्षा करेगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वीटीएस परिपत्रों के माध्यम से ऐसी लेखा परीक्षा और वीटीएस की समीक्षा से संबंधित सूचना और मार्गदर्शन निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 11. वीटीएस प्रशिक्षण संगठन का प्रत्यायन:** एक व्यक्ति या संस्था समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन) नियम, 2021 के अनुसार वीटीएस प्रशिक्षण संगठन की मान्यता के लिए आवेदन कर सकती है।
- 12. वीटीएस प्रदाता प्राधिकरण:** (1) संबंधित प्राधिकरण जो संबंधित वीटीएस को स्थापित और प्रचालित करेगा, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा "वीटीएस प्रदाता" के रूप में नामित और अधिकृत किया जाएगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्राधिकरण बशर्ते निर्दिष्ट मैनिंग, योग्यता और उपकरण के मानकों के अनुपालन करता हो।
- (3) संबंधित वीटीएस से संबंधित आवश्यक जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर प्रकाशित की जाएगी।
- (4) प्रारंभ में प्राधिकरण मध्यावधि प्रदर्शन समीक्षा के प्रावधान के साथ 05 साल के लिए वैध होगा और हर 05 साल में प्रनः मान्य किया जाएगा।
- 13. वीटीएस सेवा प्रदाता को प्राधिकरण का निलंबन:** (1) वीटीएस प्रदाता को दिए गए प्राधिकरण को सक्षम प्राधिकारी रद्द कर सकता है, यदि वीटीएस प्रदाता ने उचित औचित्य के साथ प्राधिकरण को रद्द करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध किया है।
- (2) वीटीएस प्रदाता को प्रदत्त प्राधिकरण को सक्षम प्राधिकारी निलंबित कर सकता है, यदि वह समीक्षा के दौरान यह पाता है कि ऐसे वीटीएस प्रदाता ने अपेक्षित शर्तों का अनुपालन नहीं किया है।
- बशर्ते कि प्राधिकरण के निलंबन से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान रिपोर्ट किए गए गैर-अनुपालन के सुधार के लिए उचित समय देते हुए एक नोटिस जारी किया जाएगा।
- बशर्ते यह भी कि सक्षम प्राधिकारी के नोटिस का अनुपालन न करना, प्राधिकरण को निलंबित करने के लिए पर्याप्त कारण होगा।
- 14. पोत यातायात सेवा स्थापित करने के निर्णय और इसे संशोधित अथवा रद्द करने पर जानकारी वीटीएस संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित करेगा।**
- 15. सक्षम प्राधिकारी ऐसी सलाह, जांच, निरीक्षण, लेखा परीक्षा आदि के लिए समय-समय पर अधिसूचित वीटीएस प्रदाता या किसी अन्य संस्था से शुल्क ले सकता है।**
- 16. वीटीएस में भाग लेने वाले मास्टर्स की बाध्यता:** (1) संबंधित वीटीएस प्रदाता या किसी भी आवश्यक जानकारी को वीटीएस में भाग लेने वाले पोत मास्टर रिपोर्ट/ रिपोर्टें देगा, जिसमें पहचान, इच्छित मार्ग अथवा पोत की भौगोलिक स्थिति शामिल है, तक ही ही सीमित न हो।
- (2) वीटीएस प्रदाता द्वारा उसे दिए गए निर्देशों का अनुपालन भाग लेने वालापोत मास्टर करेगा।
- (3) उपरोक्त के बावजूद, भाग लेने वाले पोत मास्टर अपने पोत के सुरक्षित संचालन हेतु जिम्मेदार है।

- 17. पोत यातायात सेवा का उपयोग:** (1) वीटीएस का उपयोग स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य हो सकता है, जो शासी नियमों और विनियमों पर निर्भर करता है।
- (2) उस क्षेत्र में नौचालन करने वाले पोतों को जहां वीटीएस प्रदान किया जाता है, उन सेवाओं का उपयोग करना चाहिए जहां अनिवार्य भागीदारी की आवश्यकता नहीं है।
- (3) सभी सोलास जहाजों को वीटीएस प्रदाता को समय-समय पर निर्दिष्ट और परिचालित तरीके से रिपोर्ट करके अनिवार्य रूप से पोत यातायात सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
- (4) सभी गैर-सोलास जहाज वीटीएस प्रदाता को समय-समय पर संबंधित वीटीएस प्रदाता द्वारा जारी परिपत्रों में निर्दिष्ट तरीके से रिपोर्ट करके सेवा का उपभोग कर सकेंगे।
- (5) देश के रक्षा बलों के पोत, जैसे कि परस्पर सहमति के अनुसार संबंधित वीटीएस सेवा उपयोग में ला सकते हैं।
- (6) मौसम की स्थिति के कारण या अन्य समुद्री सुरक्षा संबंधी कारणों से, वीटीएस प्रदाता, अन्य पोतों को भी पोत यातायात सेवा के उपयोग का आदेश दे सकता है।
- (7) वीटीएस प्रदाता, विशेष मामलों में, यदि यह स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग वास्तव में कठिन है, और इस शर्त पर लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों से रिपोर्ट करने के कर्तव्य से एक पोत को छूट, इस शर्त पर दे सकता है कि पोत की सुरक्षा खतरे में नहीं है और यह कि प्रश्नगत पोत में एआईएस कार्यात्मक है।
- (8) वीटीएस प्रदाता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रारूप को विकसित और परिचालित किया जाएगा, जो स्थानीय आवश्यकताओं को अंतिम रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए संयोजित करेगा और इसे अपनाने के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमोदन लेगा।
- 18. समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 के अध्याय XIII में निहित प्रावधानों के अनुसार पोत यातायात सेवाओं से संबंधित अपराध और दंड नौवहन होंगे।**
- 19. सक्षम प्राधिकारी, पोत यातायात सेवा का कार्य:** वीटीएस हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:
- (1) अधिनियम के वीटीएस से संबंधित धाराओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
- (2) नियम 4 के अनुसार वीटीएस से संबंधित सभी मामलों पर केंद्रीय सरकार को परामर्श की प्रदानगी।
- (3) वीटीएस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के विकास, संकल्पों और अन्य अनुदेशों, आईएएलए के दिशा निर्देशों, तथा अंतर्राष्ट्रीय समितियों और सम्मेलनों के निर्णयों की जानकारी से केंद्रीय सरकार को अवगत कराना।
- (4) वीटीएस के संदर्भ में राष्ट्रीय मानकों की स्थापना और समीक्षा करना, और यह भी सुनिश्चित करना कि वीटीएस और इसके उपकरण आईएएलए की सिफारिश और दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
- (5) प्रादेशिक जल का खतरों का मूल्यांकन, और ऐसे मूल्यांकन आधार के प्रमुख निष्कर्षों पर महत्व देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करनी, और आवश्यकतानुसार, ऐसे वीटीएस की स्थापना हेतु परामर्श की प्रदानगी।
- (6) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धति अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश, परिपत्र, नोटिस या कोई अन्य प्रशासनिक आदेश जारी करना।
- (7) देश भर में वीटीएस सेवाओं में एकरूपता और उपकरणों के मानकीकरण को सुनिश्चित करना, वीटीएस क्षेत्र में सहायता के अनुरूप नौचालन सहायता की स्थापना, मार्गदर्शन और पत्तन प्रचालन।
- (8) वीटीएस क्षेत्र के आकारके आधार पर एक उपयुक्त प्रशासनिक आधारभूत संरचना की स्थापना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित और वीटीएस प्रदाता द्वारा तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध सेवा श्रेणियों की घोषणा करना।
- (9) पत्तन वीटीएस/तटीय वीटीएस की मैनिंग का मानकीकरण तथा वीटीएस कार्मिकों की योग्यता।

- (10) वीटीएस परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वीटीएस कार्मिकों की वीटीएस लॉग बुक में कार्य अनुभव का अनुलेखन करना।
- (11) वीटीएस की लेखा परीक्षा और आवश्यकतानुसार, विस्तार की सिफारिश करना।
- (12) पोत यातायात सेवा सलाहकार समूह की आवधिक बैठकों का आयोजन करना और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई और बाद में कार्यान्वयन।
- (13) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अन्य किन्हीं कार्यों का उपयोग और निष्पादन करना।

**20. पोत यातायात सेवाओं के सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां :** सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित का हकदार होगा:

- (1) भारत में कार्यरत सभी वीटीएस के प्रचालन संबंध में, वीटीएस के कार्यान्वयन और वीटीएस के प्रचालन हेतु मानकों, तथा वीटीएस कार्मिकों की योग्यता से संबंधित परिपत्र जारी करना।
- (2) इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की सुनिश्चतता हेतु आवश्यकतानुसार के लिए आवश्यक सूचनाएं जारी करना।
- (3) संदर्भित क्षेत्र में वीटीएस स्थापित करने हेतु वीटीएस प्रदाता को अधिकृत करना।
- (4) वीटीएस की लेखा परीक्षा करना।
- (5) वीटीएस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, संगोष्ठी और प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के समूह को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से नामित करना।
- (6) भारतीय तटीय जल में पोत यातायात का खतरों का मूल्यांकन करना।
- (7) वीटीएस से संबंधित अनुसंधान करने हेतु भारतीय तटीय क्षेत्र में परीक्षण स्थल स्थापित करना।
- (8) आवश्यकता आधार पर समुद्री कानूनी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।
- (9) निम्नलिखित हेतु शुल्क प्रभार करना :
  - (क) वीटीएस प्रदाता को परामर्श विस्तारण।
  - (ख) वीटीएस केंद्र की लेखा परीक्षा।
- (10) उभरती तकनीकी की आवश्यकता के आधार पर नौवहन की भावी भूमिका को समायोजित करने के उद्देश्य से वीटीएस के अतिरिक्त सैट को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तैयार करना।
- (11) नियम 19 के अधीन कार्यों के कुशल निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार उप-समितियों का गठन करना।

**21. वीटीएस सेवा का प्रकाशन:** सक्षम प्राधिकारी वार्षिक आधार पर देश में कार्यात्मक वीटीएस के विवरण की समीक्षा करेगा और इस तरह की कार्यात्मक स्थिति में किसी भी परिवर्तन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वीटीएस परिपत्रों में निर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित किया जाएगा।

**22. पोत यातायात सेवा सलाहकार समूह (वीटीएसएजी):** (1) वीटीएस से संबंधित मामलों के लिए नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार वीटीएसएजी सलाहकार निकाय होगा।

- (2) वीटीएसएजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 

(क) महानिदेशक, नौचालन सहायता	- सदस्य संयोजक
(ख) नौवहन महानिदेशालय का प्रतिनिधि	- सदस्य;
(ग) राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय का प्रतिनिधि	- सदस्य;
(घ) भारतीय नौसेना का प्रतिनिधि (वैटएमएस हेतु)	- सदस्य;
(ङ) तटरक्षक का प्रतिनिधि	- सदस्य;
(च) भारतीय पत्तन संघ का प्रतिनिधि	- सदस्य;

- (छ) मैरीटाइम बोर्ड का प्रतिनिधि, आमंत्रण द्वारा, रोटेशन आधारित - सदस्य;
- (ज) समुद्री कानूनी विशेषज्ञ, आवश्यकतानुसार;
- (ञ) ऐसी अन्य एजेंसियों, ऑपरेटरों और संगठनों के प्रतिनिधि, निमंत्रण द्वारा, जैसे की आवश्यकता हो।

बशर्ते कि वीटीएसएजी में संगठनों के प्रतिनिधि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय में निदेशक के समकक्ष स्तर से निम्न स्तर के न हो।

- (3) प्रत्येक छह माह में वीटीएसएजी की कम से कम एक बैठक होगी।
- (4) वीटीएसएजी बैठकों हेतु कोरम का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:
- (क) न्यूनतम चार सदस्य।
- (ख) यदि किसी भी समय कोई गणपूर्ति नहीं होती है, तो समूह की बैठक को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, ऐसी तारीख मूल बैठक की तारीख से चौदह दिनों के बाद की नहीं हो सकती है और स्थगित बैठक में चर्चा की जा सकती है, भले ही वहां कोरम हो अथवा न हो। उपरोक्त के बावजूद, सदस्य संयोजक अधिकतम भागीदारी की संभावनों का पता लगाएंगे।
- (ग) स्थगित बैठक में जिस विषय पर स्थगन हुआ था, चर्चा उसी अधरी विषय से प्रारंभ होगी और किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी।
- (5) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधित आदेशानुसार वीटीएसएजी की बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा करने वाले सदस्यों की यात्रा और दैनिक भत्ता द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. एलएच-11012/4/2021-एसएल]

लुकास एल. कामसुआन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2021

**G.S.R. 852(E).**—The draft of the Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2021, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), are hereby published, as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director General, Directorate of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports Shipping and Waterways, A-13, Sector 24, Noida - 201301, or by email at [noida-dgll@nic.in](mailto:noida-dgll@nic.in), within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

#### Draft Rules

#### Preliminary

1. **Short Title and Commencement:** (1) These rules may be called for “Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2021”.

(1) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) “Accreditation” means recognition of Training Organisations for imparting VTS training after objective review in accordance with the Accreditation of Training Organisations Rules, 2021.
- (b) “Act” means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021).
- (c) “Approved” means approval accorded in writing.
- (d) “Coastal VTS” means a VTS established to assist the safe and expeditious passage of vessels through common or coastal waterways, as the case may be.
- (e) “Competent Authority” means the authority, appointed under section 12 (1) of the Act for executing the powers and responsibilities of the Central Government in the matters pertaining to VTS.
- (f) “Directorate General” means the Directorate General of Marine Aids to Navigation.
- (g) “Director General” means the Director General of Aids to Navigation.
- (h) “IALA” means the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.
- (i) “IALA Guidelines / Recommendations” means the guidelines / recommendations issued by IALA Wherever references of such specific guidelines / recommendations has been made, the amended or superseded version shall apply.
- (j) “Non-SOLAS Vessels” means the vessels which are not SOLAS Vessels.
- (k) “Port / Harbour VTS” means the VTS established and managed by the respective VTS provider within its port limit.
- (l) “SOLAS Convention” means Safety of Life at Sea Convention, 1974, as amended.
- (m) “SOLAS Vessels” means the vessels which are 500 GT or more engaged on an international voyage, compliant with the SOLAS Convention.
- (n) “VATMS” means Vessel and Air Traffic Management System.
- (o) “Vessel Traffic Service (VTS)” means a service implemented under the Act to improve the safety and efficiency of vessel traffic and to protect the environment. The service shall have the capability to interact with the traffic and to respond to the traffic situations developing in the VTS area.
- (p) “VTS area” means the delineated, formally declared service area of a VTS and may be subdivided in sub-areas or sectors.
- (q) “VTS Centre” means the centre from which the VTS is operated.
- (r) “VTS Log Book” means a log book issued in accordance with the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021.
- (s) “VTS Traffic Image” means the surface picture of vessels and their movements in a VTS area.
- (t) “VTS provider” means the authority with responsibility for the establishment, operation, management and coordination of the particular VTS.
- (u) “Vessel Traffic Service Operator (VTSO)” means a person qualified to perform tasks contributing to the operation of vessel traffic services and responsible for establishing and maintaining a vessel traffic image, which will facilitate interaction with the vessel traffic thus ensuring safety of navigation within the VTS area of responsibility.
- (v) “Vessel Traffic Service Supervisor” means a person qualified to perform tasks contributing to the operation of vessel traffic services and responsible for managing and/or co-ordinating and assisting the operational activities of the VTS operators.
- (w) “Vessel Traffic Service Manager” means a person qualified to perform tasks contributing to the operation of vessel traffic services and responsible for managing and co-ordinating the activities of the VTS centre on behalf of the VTS Provider.

- (x) “VTS personnel” means persons qualified and deployed to perform tasks relating to the operation and maintenance of vessel traffic services, including Vessel Traffic Service Operator, Vessel Traffic Service Supervisor and Vessel Traffic Service Manager.
- (y) “VTS sailing plan” means a plan which is mutually agreed between a VTS Provider and the master of a vessel concerning the movement of the vessel in a VTS area.
- (z) “VTS training course” means an approved course that meets the requirements of IALA Recommendation V-103.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act and Merchant Shipping Act, 1958 as amended will have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

**3. Objective:** To enhance the safety and efficiency of vessel traffic and to mitigate the risk of damage caused to the marine environment by vessel traffic by ensuring homogeneous platform and compliance of various national and international rules, regulations and guidelines for all the VTSs functional within the country.

**4. Obligation of Central Government with regard to Vessel Traffic Service:** The Central Government shall be obliged to:

- (1) Undertake risk assessment, as per volume of traffic and coastal developments for establishment of VTS.
- (2) Implement IALA’s recommendations and guidelines on VTS.
- (3) Authorize VTS and the type of service to be delivered.
- (4) Harmonize various VTSs operational within the country.
- (5) Conduct performance evaluation of VTS.
- (6) Standardise:
  - (a) Equipment and operation.
  - (b) VTS manning.
  - (c) Training of VTS personnel and certification.
- (7) Accredite VTS training organizations.
- (8) Approve VTS training courses.

*Explanation:* The obligations of Central Government enumerated in clause (c) sub-rule (6) Rule 4, sub-rule (7) Rule 4 and sub-rule (8) Rule 4 shall be dealt in accordance with the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021 and Marine Aids to Navigation (Accreditation of Training Organisations) Rules, 2021 framed under the ambit of Chapter VIII, Sections 18, 19 and 20 of Marine Aids to Navigation Act, 2021.

**5. Appointment of Competent Authority for Vessel Traffic Services:** (1) The Central Government shall appoint a Competent Authority for VTS by notification as per section 12(1) of the Act who shall be responsible for discharging duties in accordance with the provisions of these rules.

(2) The Competent Authority may consult the Vessel Traffic Services Advisory Group (VTSAG) with regard to the matters:

- (a) on issues pertaining to policy, operations, technology, training and regulation associated with the delivery of VTS;
- (b) on international recommendations and guidelines relating to VTS;
- (c) on resolution of issues at a local, state and national level relating to VTS, as may be necessary;
- (d) any other matters pertaining to VTS.

**6. Vessel Traffic Services under the ambit of the Competent Authority:** Functions and powers of the Competent Authority shall be exercised in respect of the following types of VTS:

- (1) Port VTS or Harbour VTS:
  - (a) Port VTS or Harbour VTS shall be established by the respective port or harbour authority who will be designated as VTS provider within such specific port or harbour limit.
  - (b) The need for such VTS shall be based on degree of risk, traffic density, the nature of cargo handled etc.
- (2) Coastal VTS:
  - (a) Coastal VTS shall be established by the Competent Authority with the prior approval of the Central Government, to assist the safe and expeditious passage of vessels through coastal waters or waters of common interest of adjoining ports, as the case may be.
  - (b) The need for such VTS shall be based on degree of risk, traffic density, marine environment, tidal conditions and specific national interest.

**7. Type of services rendered under Vessel Traffic Services:** The following types of services shall be rendered under VTS:

- (1) Information Service (INS) shall be provided by all VTS providers / coastal VTS, which involves maintaining a traffic image and allows interaction with traffic and response to developing traffic situations, providing essential and timely marine information to assist the on-board decision-making process.
- (2) Traffic Organisation Service (TOS) shall prevent the development of dangerous maritime situation and shall provide for safe and efficient movement of vessel traffic within the declared VTS area, in times of high traffic density or when vessel movements may affect the traffic flow, through operational management of traffic and the planning of vessel movements.
- (3) Navigational Assistance Service (NAS) shall provide essential and timely navigational information to assist on-board navigational decision-making process, which may be facilitated through navigational advice and / or instruction.
- (4) TOS and NAS may be considered by VTS providers depending on the navigational conditions within the port limit or the VTS area in consultation with the Competent Authority.
- (5) Regular references to IALA Guidelines on Provisions of Vessel Traffic Services with regard to the services mentioned hereinabove shall be drawn by the Competent Authority and/ or VTS provider.
- (6) A VTS shall be operated using Standard Marine Communication Phrases in English.
- (7) A standard nomenclature as published in IALA Guideline 1083 shall be used for ensuring that the VTS are identifiable in a consistent manner to avoid any possible confusion to mariners and other stakeholders.
- (8) For efficient and flawless operation of a VTS Centre, the respective VTS provider shall mandatorily develop a Standard Operating Procedure (SOP) for VTS operations including contingency plan, in consultation with the Competent Authority, and the SOP once finalised shall be circulated to all the stakeholders by the VTS provider.
- (9) While preparation of the SOP by the VTS provider, references and guidance shall be made on operational procedures available in IALA Recommendation V-127 and the latest edition of the IALA VTS Manual.

**8. Equipment for facilitation of Vessel Traffic Services:** (1) The requirement of VTS equipment depends on declared type of service, traffic density, navigation hazards, environmental conditions, topography and the extent of a VTS area. This may include, but not be limited to:

- (a) Radio Communication
- (b) Sensors
  - (i) Radar
  - (ii) AIS
  - (iii) Environmental Monitoring

- (iv) Electro Optical Systems
  - (v) Radio Direction Finder
  - (c) Data Processing
  - (d) VTS Human/Machine Interface
  - (e) Decision Support
  - (f) External Information Exchange
- (2) For the purposes of determining the requirement of equipment for a harmonised VTS scenario in the country, the Competent Authority shall refer to IALA's recommendation V-128: Operational and Technical Performance Requirements for VTS Equipment, IALA Guideline: 1111: Preparation of Operational and Technical Performance Requirements for VTS Systems, and the current edition of the IALA VTS Manual.
- (3) Information and guidance pertaining to VTS equipment and its maintenance shall be promulgated through VTS Circulars issued by the Competent Authority, from time to time.
- 9. Vessel Traffic Services personnel – Manning, Qualification, Training and Certification:** (1) Manning of VTS shall be determined based on the size and complexity of the VTS area, type of service provided, as well as traffic volumes and densities.
- (2) While determining the staffing norms, references shall be made to IALA Guideline 1045: Staffing Levels at VTS Centres.
- (3) The minimum manning standard shall be specified in circulars, issued by the Competent Authority from time to time.
- (4) The qualification of the VTS personnel shall be specified in circulars, issued by the Competent Authority from time to time.
- (5) The training and certification of VTS personnel so deployed at VTS Centre shall be guided by IALA recommendation V-103: Standards for Training and Certification of VTS Personnel, so as to maintain the standard of competence of VTS personnel in accordance with the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021.
- 10. Audit and Review of Performance of VTS:** (1) The Competent Authority shall undertake audit and review of VTS to ascertain the effectiveness of the VTS in meeting its objectives, and document such evaluation as specified through VTS Circulars issued by the Competent Authority from time to time.
- (2) Information and guidance pertaining to such audit and review of VTS shall be specified through VTS Circulars issued by the Competent Authority from time to time.
- 11. Accreditation of VTS Training Organization:** A person or entity may apply for accreditation of a VTS training organization in accordance with the Marine Aids to Navigation (Accreditation of Training Organisations) Rules, 2021.
- 12. Authorization of VTS Provider:** (1) The respective authority who shall establish and operate the respective VTS shall be designated and authorised as the "VTS provider" by the Competent Authority.
- (2) The authorisation granted by the Competent Authority shall be subject to compliance with the standards for manning, qualification and equipment specified by the circulars issued by the Competent Authority, from time to time.
- (3) Necessary information pertaining to the respective VTS shall be published by the Competent Authority, on national and international platforms.
- (4) Initially the authorization shall be valid for 05 years with the provision of mid-term performance review and shall be revalidated every 05 years.
- 13. Suspension of authorization to VTS Service Provider:** (1) The Competent Authority may cancel an authorization granted to a VTS provider, if such VTS provider has requested with reasonable justification, in writing, for cancellation of such authorization.

- (2) The Competent Authority may suspend an authorization granted to a VTS provider, if it considers during the review that such VTS provider has not complied with the requisite conditions.
- Provided that prior to suspension of authorization, a notice shall be issued by the Competent Authority, giving reasonable time for rectification of the non-compliance reported during review.
- Provided further that non-compliance with the Competent Authority's notice shall be sufficient cause to suspend the authorization.
14. The Competent Authority shall publish information on a decision to establish Vessel Traffic Service and on amending or cancelling it in national and international VTS related publications.
15. The Competent Authority may charge fees on VTS provider or any other entity, as notified from time to time, for such advises, scrutiny, inspection, audit, etc.
16. **Obligation of Masters participating in VTS:** (1) The master of a vessel participating in VTS shall give report/reports to the concerned VTS provider or any required information, including but not limited to the identity, intended passage or geographical location of the vessel.
- (2) The master of participating vessel shall follow instructions given to him by a VTS provider.
- (3) Notwithstanding the above, the master of the participating vessel is responsible for safe manoeuvring of his vessel.
17. **Participation in a Vessel Traffic Service:** (1) Participation in a VTS may be either voluntary or mandatory, depending upon governing rules and regulations.
- (2) Vessels navigating in an area where VTS are provided should make use of these services where mandatory participation is not required.
- (3) All SOLAS vessels shall mandatorily participate in the Vessel Traffic Service by reporting to the VTS provider in such manner as may be specified and circulated from time to time.
- (4) All Non-SOLAS vessels shall participate by reporting to the VTS provider in such manner as specified in circulars issued by the concerned VTS provider from time to time.
- (5) Vessels belonging to the country's defence forces may participate in respective VTS in such manner as may be mutually agreed upon.
- (6) The VTS provider may, on account of weather conditions or for other maritime safety related reasons, order other vessels, too, to participate in the Vessel Traffic Service.
- (7) In particular cases, the VTS provider, may, if it is evident that reporting is reasonably difficult, exempt a vessel from the duty to report, for reasons recorded in writing, on the condition that vessel safety is not endangered and that the subject vessel has functional AIS.
- (8) The minimum mandatory reporting format shall be developed and circulated by the Competent Authority to the VTS provider who shall combine local needs for final reporting procedure and take a written approval from the Competent Authority for the purposes of adoption.
18. The offences and penalties pertaining to vessel traffic services shall be in accordance with the provisions contained in Chapter XIII of Marine Aids to Navigation Act, 2021.
19. **Functions of Competent Authority of Vessel Traffic Services:** The Competent Authority for VTS shall be responsible for:
- (1) Effective implementation of the relevant sections pertaining to VTS, of the Act.
- (2) Advising the Central Government on all matters related to VTS as per Rule 4.
- (3) Apprising the Central Government on developments with international conventions, resolutions and other instruments, IALA guidance, and outcomes from international committees and conferences related to VTS.
- (4) Establishing and reviewing national standards on VTS, and ensuring that the VTS and its equipment are in accordance with IALA recommendation & guidelines.

- (5) Risk assessment of territorial waters, and preparation of a report highlighting the key findings of such assessment basis which it shall advise for establishment of such VTS, where necessary.
- (6) Issuing guidelines, circulars, notices or any other administrative orders, from time to time, to comply with national and international best practices.
- (7) Ensuring harmonization of VTS services and standardization of equipment across the country, in consonance with aids to navigation set up, pilotage and port operations prevalent in the VTS area.
- (8) Ensuring the establishment of a suitable administrative infrastructure depending on the size of VTS area and the declared type of service available with VTS provider, as per the standard operating procedure prepared by the VTS provider and vetted by the Competent Authority.
- (9) Standardization of manning of port VTS / coastal VTS and qualification of VTS personnel.
- (10) Endorsement of work experience in VTS Log Book of VTS personnel, as per procedure prescribed in VTS Circular.
- (11) Auditing of VTS and recommending improvements where necessary.
- (12) Convening periodical meetings of Vessel Traffic Service Advisory Group and follow up on the recommendations and subsequent implementation.
- (13) Exercising and discharging any other function as may be delegated by the Central Government from time to time.

**20. Power of the Competent Authority of Vessel Traffic Services:** The Competent Authority shall be entitled to:

- (1) Issue circulars for implementation of VTS and standards for operation of such VTS, & qualification of VTS personnel in respect of all the VTS functional in India.
- (2) Issue notices as may be required for the compliance with the provisions of these Rules.
- (3) Authorize a VTS provider to establish VTS in a designated area.
- (4) Undertake audit of VTS.
- (5) Nominate any officer or group of officers to attend international event, seminar, and training related to VTS, with the prior approval of the Central Government.
- (6) Undertake risk assessment of vessel traffic in Indian coastal waters.
- (7) Setup test beds in Indian coastal area to undertake research related to VTS.
- (8) Engage the services of marine legal experts on need basis.
- (9) Charge fees for the following:
  - (a) Consultation extended to VTS provider.
  - (b) Audit of VTS centre.
- (10) Formulate additional set of VTS rules with the prior approval of the Central Government so as to accommodate the futuristic role of shipping, based on to the emerging technological needs.
- (11) Constitute sub-committees as may be necessary for the efficient discharge of functions under Rule 19.

**21. Promulgation of VTS service:** The Competent Authority shall review the details of functional VTS in the country on an annual basis and any changes in such functional status shall be promulgated, in such manner as may be specified in VTS circulars issued by the Competent Authority.

**22. Vessel Traffic Services Advisory Group (VTSAG):** (1) The VTSAG shall be the consultative body for matters relating to VTS in accordance with sub-rule (2) of Rule 5.

(2) The VTSAG shall comprise of the following:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| (a) The Director General of Aids to Navigation | - Member Convener |
|--|-------------------|

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| (b) | Representative of DG Shipping  | -Member; |
| (c) | Representative of National Hydrographic Office   | -Member; |
| (d) | Representative of Indian Navy(For VATMS)   | -Member; |
| (e) | Representative of Coast Guard  | -Member; |
| (f) | Representative of Indian Ports Association   | -Member; |
| (g) | Representative of Maritime Board, by invitation, on a rotation basis                                   | -Member; |
| (h) | Marine legal expert, as may be required;   |          |
| (i) | Representative of such other agencies, operators and organizations, by invitation, as may be required. |          |

Provided that representatives of organisations in the VTSAG shall not be below the rank that of equivalent to the Director in the Union Ministry of Government of India.

- (3) The VTSAG shall meet at least once in every six months.
- (4) The quorum for VTSAG meetings shall be determined in accordance with the following:
- (a) Minimum of four members.
  - (b) If any time there is no quorum, the meeting of the group shall be adjourned to a later date, such date being not later than fourteen days from date of original meeting and business may be transacted at the adjourned meeting whether or not there is quorum. Notwithstanding the above, the Member Convener shall explore maximum participation.
  - (c) No business shall be transacted at any adjournment meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.
- (5) The travelling and daily allowance of members performing the journey to attend the meetings of the VTSAG shall be governed by the orders issued by Government of India as amended from time to time.

[F. No. LH-11012/4/2021-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.